राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1338/2015/नागौर
2. अपील संख्या – 1631/2015/नागौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–मकराना, नागौर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स डेजर्ट सॉल्ट कम्पनी प्रा.लि.,
नावरसिटी, जिला–नागौर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री बी.के.गर्ग
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.01.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री टैक्स इन्टू लोकल एरिया अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 12 के अन्तर्गत प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–मकराना (जिन्हें आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यें अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज
1338/15	181/12–13/प्रवेश कर	22.01.2013	10–11	2,87,406	86,222
1631/15	110/14–15/प्रवेश कर	28.02.2014	11–12	39,305	11,398

2. इन अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आलोच्य अवधि में कुल खरीद किये गये माल रुपये 9,82,623/–राज्य के बाहर की खरीद मानते हुये इस खरीद पर 4 प्रतिशत की दरे से प्रवेश कर एवं प्रवेश कर विलम्ब से मानते हुये ब्याज का आरोपण किया। इस आदेश को अपीलीय स्तर पर चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

5. प्रस्तुत प्रकरणों में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के स्वयं के प्रकरण वर्ष 2013–14 में **अपील संख्या 1340/2015/नागौर निर्णय दिनांक 31.07.2017** को उद्धरित कर कथन किया कि माननीय खण्डपीठ के निर्णय से प्रस्तुत प्रकरण आच्छादित होने के कारण विवाद समाप्त हो चुका है। अतः यह प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 30.06.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य